न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक खन्ना, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

वाद संख्याः 1/176

तारीख रज्जू 23.09.2008

01– गिर्राज पुत्र श्री सोन्या जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर –वादी

बनाम

01– जीतू पुत्र हरि जाति मीणा,

02– हरि पुत्र सोन्या जाति मीणा,

03– धनपाल पुत्र सोन्या जाति मीणा

निवासीयान ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांकः 17.02.2020

वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि विवादित आराजी खसरा नं० 2904 रकबा 0.10 है०, 2910 रकबा 0.32 है०, 2911 रकबा 0.15 है०, 2912 रकबा 0.05 है०, कुल किता 4 रकबा 0.62 है० ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई ताल्लुक व वास्ता

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

किसी किस्म का नही है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है, इसी कारण वादी के शान्तिमय कब्जे काश्त में बाधा डालते है, जिसका प्रतिवादीगण को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 14.10.2005 को विवादित आराजी में वादी के कब्जे काश्त में बाधा डाली व जबरन पाटोल तानने व जबरन कब्जा करने की धमकी दी। प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त खातेदारी उक्त आराजी मे वादी के कब्जे काश्त में कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने, जोतने, समेटने आदि में किसी प्रकार की बाधा ना डाले तथा जबरन पाटोल ना ताने व अपना जबरन कब्जा ना करें व बाज रहे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजिर अदालत आये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश हुआ। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 1122/6 जिसका नया नम्बर 2904, 2910 2911 एंव 2912 अलॉट हुई थी। लेकिन उक्त आराजी पर वादी काबिज नही है। जबकि आराजी खसरा नम्बर 1122/1 एवं 1122/7 एवं 1122/8 हरिराम पुत्र सोन्या मीणा ग्राम पूनखर को अलॉट द्वारा एवं शेष भूमि जरे रजिस्ट्री खरीद के आधार पर काबिज है और आराजी खसरा नम्बर 1122/1 व 1122/2 के बीच की भूमि में प्रतिवादीगण की रिहायश के मकानात कच्चे पक्के व पाटोल डालकर रिहायश किये हुऐ है। वादी ने मौके की सही स्थिति को छुपाकर दावा दायर किया है। प्रतिवादीगण हरि पुत्र सोन्या को आराजी खसरा नम्बर 2913 एवं 2914 जरिये सरकार अलॉट हुई है व आराजी खसरा नम्बर 2905, 2906, 2907, 2908 एंव 2909 रामबाबू के नाम अलॉट हुई थी। जिसमें से 1/2 हिस्सा रंगलाल की पत्नी कमला व 1/4 हिस्सा जमीन प्रतिवादी हरिराम की पत्नी भगवानी के नाम खरीद की है व आराजी खसरा नं. 2915, 2916 व 2917 दिनांक 12.06.2001 को जरिये रजिस्ट्री सुरेश मणी से खरीद की है जो हरिराम के नाम है।

सहायक कलक्टर
मलारना (रूवा०)

Scanned by CamScanner

17

उपरोक्त जायदाद पर प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 जो प्रतिवादी सं० 2 का पुत्र है। उपरोक्त जायदाद पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्तकार करते चले आ रहे है। किन्तु वादी जबरन उक्त दावे की आड में प्रतिवादीगण को अपनी मिलिकियत व कब्जे की जायदाद में बने मकानात कच्चे पक्के पाटोल में से बेदखल करना चाहता है। वादी ने जबरन प्रतिवादीगण की काश्तकारी आराजी में जबरन पाटोल को डालकर जबरन कब्जा कर रहा है। जिस हेतु काउण्टर क्लेम जबाव दावा के साथ पेश कर निवेदन किया है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे व वादी को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण के कब्जाशुदा आराजीयात में कोई दखल, मजाहमत पैदा नहीं करे व जबरन कब्जा नहीं करे और वादी द्वारा प्रतिवादीगण की काश्तकारी आराजीयात में जबरन बनाये गये पाटोल, कच्चे मकानात को मिसमार कराया जावे। वादी के वाद को खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से जबावदावा का जबाव उल जबाव वादी की ओर से पेश हुआ जिसका सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार है कि कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2904 रकबा 10 ऐयर, 2910 रकबा 0.32 ऐयर, 2911 रकबा 0.15 ऐयर, 2912 रकबा 0.05 ऐयर, ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर पर प्रतिवादीगण का कब्जा नही है बल्कि वादी का कब्जा काश्त है वादी को साबिक खसरा नं. 1122/6 का आवंटन किया गया था जिसके नये खसरा नं. सम्वत् 2051 में 2904, 2910, 2911, 2912 कायम हुए है। प्रतिवादीगण का इन खसरा नम्बरान से किसी प्रकार का ताल्लूक व वास्ता नही है वादी की खातेदारी की आराजी है।

उभयपक्ष की उपस्थिति में निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी:–

01– आया वादी विवादित आराजी ख०नं० 2904, 2910, 2911, 2912 वाके ग्राम पूनखर तह0 अलवर का काबिज खातेदार

सहायक कलक्टर अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

काश्तकार है। वादी विवादित आराजी बाबत् प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

02— आया वादी को आराजी ख०नं० 1122/6 जिसके नये नम्बर 2904, 2910, 2911, 2912 अलॉट हुई जिस पर वादी काबिज नहीं है। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। दावा चलने योग्य नही है।

03— आया विवादित आराजी पर काबिज नहीं है। प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। प्रतिवादीगण वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

04— अनुतोष।

तनकीयात कायम होने के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर दिया गया। वादी ने अपने वाद के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2059—62 प्रदर्श—1, जमाबंदी सम्वत् 2059—62 प्रदर्श—2 पेश की है।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। प्रतिवादीगण की साक्ष्य दिनांक 02.09.2015 को बंद की गयी एवं दिनांक 04.02.2020 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

विद्वान अभिभाषक वकील वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड का आधोपान्त अवलोकन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार है—

तनकी नं० 1

जमाबंदी सम्वत् 2059—62 वाके ग्राम पूनखर तह० अलवर हाल तह० मालाखेडा जिला अलवर के खाता सं० 87 में वर्णित आराजी खसरा नं० 2904 रकबा 0.10 है०, 2910 रकबा 0.32 है०, 2911 रकबा 0.15 है०, 2912 रकबा 0.05 है०, कुल किता 4 रकबा 0.62 है० के वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा गिरदावरी संवत् 2059—62 के

सहायक कलेक्टर अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

अवलोकन से भी वादी का कब्जा साबित होता है। वादी यह तनकी साबित करने में सफल रहा है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित कर विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं० 2

तनकी नं. 1 वादी के पक्ष में निर्णित की गयी है क्योकि वादी वादग्रस्त आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–2062 से वादी का कब्जा पाया गया है। प्रतिवादीगण को अवसर दिये जाने के पश्चात भी प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है एवं प्रतिवादीगण की एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इस तनकी को प्रतिवादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी बहक वादी निर्णित कर विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं० 3

तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित कर तय की जा चुकी है। प्रतिवादी का उक्त वादग्रस्त खसरा नम्बरान पर कब्जा नही है ना ही वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादग्रस्त आराजी का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है, जिस हेतु वादी ने जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 पेश की है जो प्रदर्श–2 है जिसमें गिर्राज पुत्र सोन्या मीणा साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2059–2062 जो प्रदर्श–1 है, जिसमें गिर्राज पुत्र सोन्या मीणा साकिन देह खातेदार एवं उसकी काश्त गिरदावरी में दर्ज है। प्रतिवादीगण इस तनकी को भी साबित करने में असफल रहे है। यह तनकी भी खिलाफ प्रतिवादी, बहक वादी निर्णित कर वादी के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोषः–

सभी तनकियों का निर्णय वादी के पक्ष में हुआ है। जमाबंदी सम्वत् 2059–62 वाके ग्राम पूनखर तह0 अलवर हाल तह0 मालाखेडा जिला अलवर के खाता सं० 87 में खसरा नं० 2904 रकबा 0.10 है०,

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

2910 रकबा 0.32 है०, 2911 रकबा 0.15 है०, 2912 रकबा 0.05 है०, कुल किता 4 रकबा 0.62 है० के वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। खसरा गिरदावरी संवत् 2059–62 के अवलोकन से भी वादी का कब्जा साबित होता है। इस कारण वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित खाता सं० 87 में वर्णित आराजी खसरा नं० 2904 रकबा 0.10 है०, 2910 रकबा 0.32 है०, 2911 रकबा 0.15 है०, 2912 रकबा 0.05 है०, कुल किता 4 रकबा 0.62 है० वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा में वादी के कब्जे काश्त में कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने, जोतने, समेटने आदि में किसी प्रकार की बाधा ना डाले तथा जबरन पाटोल ना ताने व अपना जबरन कब्जा ना करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

(21)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix "D" I)

अज अदालत सहायक कलक्टर अलवर
इजलास श्री अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)

01– गिर्राज पुत्र श्री सोन्या जाति मीणा निवासी ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

–वादी

बनाम

01– जीतू पुत्र हरि जाति मीणा,
02– हरि पुत्र सोन्या जाति मीणा,
03– धनपाल पुत्र सोन्या जाति मीणा
निवासीयान ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा जिला अलवर

– प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बरः 1/176
सन्ः 2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूवक हमारे व हाजिर वादी वकील श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता मिन जानिब प्रतिवादी XXXXX मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी की जाती है कि प्रतिवादीगण को हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नं0 2904 रकबा 10 है0, 2910 रकबा 0.32 है0, 2911 रकबा 0.15 है0, 2912 रकबा 0.05 है0 कुल किता 4 रकबा 0.62 है0 वाके ग्राम पूनखर तहसील मालाखेडा में वादी के कब्जे काश्त में कुल कार्य काश्तकारी फसल बोने काटने, जोतने, समेटने आदि में किसी प्रकार की बाधा ना डाले तथा जबरन पाटोल ना ताने व अपना जबरन कब्जा ना करें।

यह डिगरी मेरे हस्ताक्षर व मोहर के आज तारीख 17 माह 2 सन 2020 में जारी की गयी है।

सहायक कलक्टर
अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner